न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 14 / 2025	2025 / 107	10.02.2025	3-6-2026

1– रणवीर सिंह पुत्र महिपाल सिंह यादव निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अपीलान्ट

बनाम

1– कृष्ण गोपाल पुत्र स्व0 हरिसिंह यादव निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

2– महिपाल सिंह पुत्र स्व0 हरिसिंह यादव निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

3– श्रीमति विजय लक्ष्मी पुत्री स्व0 हरिसिंह यादव पत्नि मंगलराम यादव निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास हाल आबाद ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

4– श्रीमति शकुन्तला पुत्री स्व0 हरिसिंह यादव पत्नी रोहिताश निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास हाल आबाद ग्राम साणोदा तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

5– संतोष देवी पुत्री स्व0 हरिसिंह यादव पत्नी हरिप्रसाद यादव निवासी निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास हाल आबाद ग्राम चन्दपुरा–धीरधोका तहसील कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

6– श्रीमती सुमित्रा पुत्री स्व0 हरिसिंह यादव पत्नी दलीप सिंह यादव निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास हाल आबाद ग्राम कालिया होडा तहसील बहरोड जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

असल रेस्पॉडेन्ट

7– तरूण पुत्र महिपाल सिंह यादव निवासी ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

तरतीबी रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 01.04.2021 नामान्तकरण संख्या 2875 वाके ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2875 निर्णय दिनांक 01.04.2021 वाके ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट वक्त बहस उपस्थित नही हुऐं अपीलान्ट ने अपील में अंकित किया है, कि मृतक हरिसिंह पुत्र ओमकार अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का दादा था, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट का चाचा है, व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पिता है, व रेस्पोडेन्ट संख्या 03 लगा. 06 अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की बुआ है, यानि मृतक हरिसिंह के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा. 06 पुत्र व पुत्रीया है। अपीलान्ट के दादा हरिसिंह अपने नाना के यहा गोद आया था। एंव अपने नाना से प्राप्त आराजी को हरिसिंह ने विक्रय कर कुछ आराजी ग्राम मोठुका में खरीद की थी। जिस आराजी को खरीद करने में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के पिता महिपाल सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जो कि युको बैक में कार्यरत थे ने भी काफी सहयोग यानि आर्थिक सहयोग दिया था, उस समय हरिसिंह जो अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के दादा थे व कर्ता खानदान था उस समय जो बयनामा आराजी का कराया गया था वो हरिसिंह के नाम से ही कराया गया था। जिससे उक्त आराजी का इन्द्राज कागजात माल में हरिसिह के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार आराजी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

मुतनाजा हिन्दु मुस्तर्का खानदान की पैत्रिक व कौ–पार्शनरी सम्पत्ति है। जिससे कानूनन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मृतक हरिसिंह के खास पौत्र है, का अपने जन्म से समय से ही अधिकार पैदा हो जाता है। मृतक हरिसिंह ने अपने जीवनकाल मे इस लिहाज से की उसके स्वर्गवास के बाद आराजी मुतनाजा को लेकर उसके वारिसान के दरम्यान किसी प्रकार का विवाद पैदा न हो अपने पूर्ण होशहवास में अच्छा बुरा सोच समझकर एक वसीयतनामा भी अपने दोनो पुत्र महिपाल सिंह व कृष्ण गोपाल के हक में तहरीर व तकमील करा दिया। वसीयतनामा निष्पादन कराने के बाद अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट आराजी मुतनाजा के निस्फ भाग पर अपने पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 महिपाल सिंह के साथ काश्त करते तथा पैदावार काश्त प्राप्त करने व लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे व निस्फ भाग पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कृष्ण गोपाल का कब्जा मुस्तर्का में है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 हरिसिंह के जीवनकाल में ही उक्त आराजी में कब्जा मुसर्त्का में रहा व मुस्तर्का में काश्त कर रहे है। उक्त आराजी में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का 2/6 भाग है। विकल्प में 2/9 भाग है, पर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट काबिज काश्तकार खातेदार है जिस बाबत वाद/निगरानी पेश की हुई है, जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है। उक्त आराजी के बाबत एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास के यहा पेश किया हुआ है, जो दिनाक 19.12.2018 को अबेटमेन्ट में खारिज किया गया, जिसकी अपील न्यायालय भू0 प्रबंध अधिकारी अलवर के यहा पेश की जो दिनाक 17.03.2021 को खारिज की गयी। जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील दिनाक 22.03.2021 को पेश की जिस अपील में रेस्पोडेन्ट द्वारा केवियट पेश की गयी जिस अपील में स्टै की बहस की सुनवाई के लिए दिनाक 23.03.2021 नियत की गयी है। व दिनाक 05.04.2021 को स्थगन आदेश जारी किया गया है। असल रेस्पोडेन्ट को इस बात की जानकारी थी, की उक्त आराजी के बाबत विवाद माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है, तथा तहसीलदार किशनगढबास भी उक्त अपील में पक्षकार थे मगर इसके बावजूद भी तहसीलदार किशनगढबास व रेस्पोडेन्ट ने आपस में मिली भगत करके यह जानते हुऐ कि अपील में स्टे होने वाला है दिनाक 01.04.2021 को नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा. 06 मृतक हरिसिंह का दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया है, कि तहत अदालत के समक्ष अपीलान्ट पक्षकार नही था, विधिक प्रावधानानुसार अपीलान्ट को अपील पेश किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, अपीलान्ट कानूनी मामलो से अनभिज्ञ है, अपीलान्ट को यह जानकारी नही थी, कि उक्त आदेश दिनाक 01.04.2021 के विरूद्व अपील की जानी है, दिनाक 09.04.2023 अभिभाषक से सलाह मश्वरा किया तो अपील किये जाने की सलाह दी गयी जिस पर तुरन्त नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनाक 10.04.2023 को पेश किया जिसकी नकल दिनाक 10.04.2023 प्राप्त होने पर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में जो समय गुजरा है उसे कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन है, कि पारित निर्णय दिनाक 01.04.2021 से दिनाक 09.04.2021 तक का समय जो जानकारी के अभाव में निकला है, काबिल माफी योग्य है। अपील अपीलान्ट अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जावे। तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट वक्त बहस उपस्थित नही हुऐं।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव अपील में वर्णित तथ्यो पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश वाके ग्राम मोठुका तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2875 दिनांक 01.04.2021 वाके ग्राम मोठूका के विरूद्व दिनाक 22.04.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 02 वर्ष पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। जो अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.04.2021 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 09.04.2021 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

अपील तहसीलदार किशनगढबास के निर्णय दिनाक 01.04.2021 नामान्तकरण संख्या 2875 वाके ग्राम मोठूका तहसील किशनगढबास के विरूद्व पेश की गयी है, किन्तु प्रस्तुत अपील में तहसीलदार किशनगढबास को पक्षकार मुकदमा ही नही बनाया गया है, विधिक प्रावधानुसार किसी भी प्रचलित आदेश को निरस्त कराये जाने हेतु संबंधित न्यायालय में पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर समक्ष न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई की जाकर ही कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है, उक्त प्रकरण में तहसीलदार अहम पक्षकार है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है, साथ ही उक्त क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद प्रस्तुत कर कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है। जिसके अभाव में अपील में कोई आदेश दिया जाना उचित नही समझते है, साथ ही अपील में उल्लेख अंकित किया गया है, कि एक अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में विचाराधीन है, जब प्रकरण अन्य न्यायालय में चिचाराधीन है, तो उक्त क्रम में कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय नामान्तकरण संख्या 2875 वाके ग्राम मोठूका निर्णय दिनाक 01.04.2021 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 8-6-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)